

प्रमाण-पत्र

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह- III,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:-


प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या-LJU22803 से
अन्तिम व अस्थायी निकासी के विवरण के संबंध में:-

महोदय,

श्रीमान् जी ससम्मान निवेदन यह है कि प्रार्थी वर्तमान में जनपद-अम्बेडकरनगर (अकबरपुर) में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 27.09.1999 को नियुक्ति पायी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2019 को अपनी 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली गयी है। प्रार्थी उपरोक्त सेवा में कभी भी निलम्बन में नहीं रहा है। प्रार्थी का कनिष्ठ पुत्र यश पवार ब्रिटेन की ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में उच्चतर शिक्षा एम.बी.ए. करना चाहता है, जिसके लिए उसके प्रवेश की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रार्थी अपने उपरोक्त पुत्र की ब्रिटेन में उच्चतर शिक्षा, वीजा, यात्रा टिकट आदि खर्चों के लिए सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 की धारा-16 व 17 में वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपनी भविष्य निधि खाता संख्या-LJU22803 से अन्तिम आहरण के रूप में वांछित धनराशि मु0 10,00,000/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त युनिवर्सिटी द्वारा जारी प्रपत्र के अनुसार एम.बी.ए. कोर्स की एक वर्ष की फीस मु0 16,000/- डॉलर है, जो कि यूरो डॉलर की दर के अनुसार मु0 16,00,000/- रूपये के बराबर होती है। मुझ प्रार्थी का एक चालू/बचत खाता संख्या-10678723967, एस.बी.आई. अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में संचालित है, जिसमें दिनांक 29.01.2021 को मु0 6,11,393/- रूपये शेष है। उक्त युनिवर्सिटी की फीस लगभग मु0 16,00,000/- रूपये है। फीस के अतिरिक्त वीजा, यात्रा टिकट व अन्य खर्चों में मु0 2,00,000/- खर्च होने की सम्भावना है। अतः मुझ प्रार्थी को अपने उपरोक्त जी.पी.एफ. से अपने पुत्र की विदेश में उच्चतर शिक्षा हेतु मु0 10,00,000/- (दस लाख रूपये) अन्तिम आहरण की तत्काल आवश्यकता है। उक्त फीस लगभग 20 फरवरी, 2021 तक जमा करना आवश्यक है। अन्यथा मेरे पुत्र का प्रवेश निरस्त हो सकता है।

श्रीमान् जी, मुझ प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त जी0पी0एफ0 खाता



संख्या-LJU22803 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में अपने ज्येष्ठ पुत्र मुकुल पवार के कनाडा में उच्चतर शिक्षा हेतु मु0 10,00,000/- (दस लाख रुपये) अन्तिम निकासी हेतु प्राप्त किया गया है। जिसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-14528/IV-2855/Admin.(A) दिनांकित 30.09.2019 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पत्रांक संख्या-2944/XV/6A/जिला जज/अम्बेडकरनगर दिनांकित 18.12.2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 27.09.1999 से अब तक अस्थाई रूप से निम्नलिखित निकासी की गयी है:-

(i) मुझ प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जी.पी.एफ. खाता संख्या से दिनांक 09.11.2004 को मु0 30,000/- रुपये प्लैट बुकिंग के लिए अस्थायी अग्रिम रूप से प्राप्त किये गये थे। जो कि मु0 1,250/- रुपये की प्रतिमाह की किश्तों में 24 किश्तों में अक्टूबर, 2006 तक अदा किया जा चुका है।

(ii) मुझ प्रार्थी द्वारा पुनः अपने उपरोक्त खाता से दिनांक 03.11.2007 को मु0 79,000/- रुपये अस्थायी अग्रिम रूप से प्राप्त किये गये थे। जो कि मु0 4,000/- रुपये की प्रतिमाह की किश्तों द्वारा जनवरी, 2009 तक अदा किये जा चुके हैं।


(iii) मुझ प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त खाता से दिनांक 07.03.2014 को मु0 1,50,000/- रुपये अस्थायी अग्रिम रूप से लिये गये थे, जो कि मु0 10,000/- रुपये की प्रतिमाह की किश्तों में जून, 2015 तक अदा किये जा चुके हैं।

(iv) मुझ प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त खाता संख्या से दिनांक 02.11.2015 को मु0 1,60,000/- रुपये अस्थायी अग्रिम लिये गये थे, जो कि मु0 7,000/- व 6,000/- रुपये की प्रतिमाह की मासिक किश्त से 22 माह में अक्टूबर, 2017 तक अदा किये जा चुके हैं।

मुझ प्रार्थी के पास अपने पुत्र यश पवार की विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए मु0 10,00,000/- (दस लाख रुपये) अन्तिम निकासी पाने के अतिरिक्त कोई आर्थिक स्रोत नहीं है और उपरोक्त धनराशि की प्रार्थी को तत्काल आवश्यकता है। यदि माननीय उच्च न्यायालय मुझ प्रार्थी को अपने पुत्र की उच्चतर शिक्षा, वीजा, यात्रा खर्च व अन्य खर्च हेतु उक्त धनराशि प्रदत्त करता है तो प्रार्थी उक्त धनराशि का दुरुपयोग नहीं करेगा और उसे अपने पुत्र की उच्चतर शिक्षा हेतु ही प्रयोग करेगा। यदि इसमें से कोई धनराशि शेष बचती है या धनराशि प्रयोग में नहीं होती है तो प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय को वापस कर देगा। प्रार्थी प्रार्थाना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित प्रपत्र भी प्रेषित कर रहा है। वित्तीय वर्ष, 2016-17 से 2020-21 तक जी0पी0एफ0 पासबुक की स्वप्रमाणित

छायाप्रतियाँ, जिसमें सभी कटौती, निकासी, वापसी, प्रतिवर्ष की गणना व कुल विवरण संबंधित अधिकारी से सत्यापित है। प्रार्थी का सर्टिफिकेट, जिसमें सेवा के कार्यकाल में अंतिम व अस्थायी निकासी व वापसी दिनांक सहित वर्णित है। जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी असल सर्टिफिकेट सील मोहर हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, जिसमें अद्यतन जी०पी०एफ० की अद्यतन स्थिति। प्रार्थी द्वारा जारी असल प्रमाण-पत्र सील व हस्ताक्षरित प्रस्तावित निकासी की धनराशि की आवश्यकता, परिस्थितियाँ तथा प्रस्तावित धनराशि उक्त वर्णित उद्देश्य हेतु ही खर्च की जायेगी अन्यथा नहीं। प्रार्थी द्वारा उन वर्षों की जी०पी०एफ० पासबुक की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, जिन वर्षों में अन्तिम व अस्थायी निकासी व वापसी की गयी है। प्रार्थी की अण्डरटैकिंग स्वयं हस्ताक्षरित व सील के साथ, जो डी०डी०ओ० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, जिसमें यह वर्णित है कि यदि प्रदत्त धनराशि खर्च नहीं होती या बच जाती है तो प्रार्थी उसे माननीय उच्च न्यायालय को वापिस कर देगा।

दिनांक:-02.02.2021



(Handwritten signature)
2-2-2021

(महेन्द्र सिंह-111)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट बंगला-1, अम्बेडकर नगर (3080)

I.D.No 5854